(1)

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल खण्डपीठ भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3575

पुर्नरीक्षण क्र. ...../2017

पुर्नरीक्षणकर्ता .... रामचरण पुत्र नंदराम आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम बरखेड़ा नाथू तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

विरूद्व

रिस्पोंडेट .... कुवंर जी पुत्र हरिप्रसाद आयु लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम बरखेड़ा नाथू तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व सहिंता

पुर्नरीक्षणकर्ता की और से निम्नलिखित निवेदन है कि –

यह कि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर, के न्यायालय में प्रकरण कमांक 18 अ–70/2014–15 प्रकरण कुंवर जी व अन्य विरूद्व विनोद एवं अन्य के नाम से पीठासीन अधिकारी श्री विनोद सोनकिया साहब के समक्ष दिनांक 28/09/2017 को विचाराधीन है एवं उपरोक्त प्रकरण में पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की थी कि रिस्पोंडेट द्वारा जिन साक्षीयों का मुख्य परीक्षण करवाया गया है उनका प्रतिपरीक्षण की अनुमति प्रदान की जावे। उपरोक्त आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28/07/2017 को आदेश पारित करते हुये पुर्नरीक्षणकर्ता का आवेदन निरस्त किया गया। तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 28/07/2017 से दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुर्नरीक्षण प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./भोपाल/भू.रा./17/3575 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री अरूण कुमार पारे उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण की आर्डरशीट की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, आदेश पत्रिका दिनांक 27–3–16 द्वारा ही इस निगरानी के आवेदक द्वारा दूसरे पक्ष के साथियों का प्रतिपरीक्षण से इंकार करने के कारण उनका अवसर समाप्त कर दिया। अब एक साल बाद प्रतिपरीक्षण की मॉग को तहसीलदार ने सही ही अस्वीकार किया है । तहसीलदार की इस कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	